छत्तीसगढ़ शासन

संबल

छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार - भरोसे की सरकार

संबल

छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं

छत्तीसगढ़ महतारी

छत्तीसगढ़ सरकार
भरोसे की सरकार

संदेश

देश में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी एवं महंगाई के कारण गरीबों का जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। इन समस्याओं का निराकरण सिर्फ 'न्याय' (सभी के लिये न्यूनतम आय) के सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणीत करके ही हो सकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने होंगे, जिनसे समाज के सबसे निचले तबके सहित सभी वर्ग के लोगों की आय वृद्धि के स्थायी अवसर उत्पन्न हो सकें, जिससे उनका जीवन स्तर उन्नत हो और वे सुखमय–खुशहाल जीवन जीये।

छत्तीसगढ़ राज्य में 'सबके लिये न्याय' सुनिश्चित करने हेतु अनेक अभिनव योजनायें संचालित की जा रही हैं। इससे विगत पौने पांच वर्षों में लाखों परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण, आय इत्यादि के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्रियान्वित राजीव गांधी किसान

न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ मिलेट मिशन, स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम उत्कृष्ट शालाएं, हाट–बाजार क्लीनिक, रियायती दरों पर गुणवत्तायुक्त दवा उपलब्ध कराने की श्री धन्वन्तरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, लघु वनोपज संग्रहण, धान खरीदी की उत्कृष्ट व्यवस्था, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन, कोसा पालन, रेशम कीट पालन को बढ़ावा, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था से राज्य की बड़ी आबादी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिये "न्याय" सुनिश्चित करने के प्रयासों में और तेजी लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ "रोजगार मिशन" के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार सृजित करने तथा लोगों की आय वृद्धि के नये अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी एक दशक तक "न्याय" के लक्ष्य का क्रियान्वयन इसी गति से किया जायेगा, जिससे **"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" (Creating New Chhattisgarh)** की अवधारणा मूर्त रूप लेगी, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, युवा कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश का नम्बर एक राज्य होगा और हमारे पुरखों ने जिस **'खुशहाल एवं विकसित'** छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वप्न देखा था, वह साकार हो सकेगा।

जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित पुस्तिका "संबल" के नवीन संस्करण अगस्त 2023 के प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं...

जय छत्तीसगढ़, जय हिन्द

(भूपेश बघेल)
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

युवाओं के साथ भेंट मुलाकात

“जनहित के कई मुद्दे, अपनों से अपनी बात समस्याओं का त्वरित समाधान, साथ में ढेर सारी सौगात कुछ इस तरह होती है...

भेंट- मुलाकात”

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	राजीव गांधी किसान न्याय योजना	06–09
2.	गोधन न्याय योजना	10–13
3.	मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना	14–15
4.	दाई–दीदी क्लीनिक योजना	16–17
5.	मुख्यमंत्री हाट–बाजार क्लीनिक योजना	18–19
6.	श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना	20–21
7.	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	22–23
8.	स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट स्कूल योजना	24–25
9.	सुराजी गांव योजना –नरवा, गरवा, घुरवा, बारी	26–30
10.	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	31–32
11.	तेंदू पत्ता एवं वनोपज संग्रहण	33–34
12.	राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना	39–40
13.	छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन	41–43
14.	राजीव युवा मितान क्लब योजना	44–45
15.	मुख्यमंत्री मितान योजना	46–47
16.	बेरोजगारी भत्ता	48
17.	मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना	49–50
18.	छत्तीसगढ मिलेट मिशन	51–53
19.	राम वन गमन पर्यटन परिपथ	54–55

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

राज्य के किसानों एवं विभिन्न वर्ग के हितग्राहियों को अब तक कुल ₹ 1,60,000 करोड़ की सीधी मदद

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अन्तर्गत किसानों को अब तक कुल ₹ 21,913 करोड़ की इनपुट सब्सिडी दी गई

खरीफ वर्ष	लाभान्वित किसानों की संख्या	इनपुट सब्सिडी
2019	18.43 लाख	₹ 5627 करोड़
2020	20.59 लाख	₹ 5553 करोड़
2021	23.23 लाख	₹ 7028 करोड़
2022	24.53 लाख	₹ 3705 करोड़ (प्रथम + द्वितीय किस्त)

(20 अगस्त2023 की स्थिति में)

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण, कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में किसानों को राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है।

उद्देश्य -

योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों की शुद्ध आय में वृद्धि करने के साथ ही कृषि में अधिक निवेश प्रोत्साहन तथा कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना है।

प्रारंभ -

भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से यह योजना प्रारंभ की गई है, जिसे वर्ष 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।

इनपुट सब्सिडी राशि -

योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 से सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष राशि रुपए 9000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी के रुप में दी जा रही है।

वर्ष 2020–21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह उस रकबे में धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रूपए इनपुट सब्सिडी राशि दिये जाने का प्रावधान है। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी मिलेगी।

इनपुट सब्सिडी राशि के भुगतान की प्रक्रिया के तहत योजना के पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से चार किस्तों में इनपुट सब्सिडी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है।

किसानों को दी गई इनपुट सब्सिडी राशि -

योजना के तहत राज्य के किसानों को 21 मई 2020 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक लगभग 21 हजार 913 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। वर्ष 2023–24 के बजट में इस योजना के तहत 6800 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी के रुप में किसानों को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपलब्धि

- ❖ वर्ष 2017–18 में राज्य में धान विक्रय हेतु 15 लाख 77 हजार 332 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 12 लाख 6 हजार 264 किसानों से समर्थन मूल्य पर 56 लाख 88 हजार 347 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 10596.49 करोड़ रूपए का भुगतान तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था।
- ❖ वर्ष 2018–19 में वर्तमान सरकार ने समर्थन मूल्य पर 80.38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर किसानों को 20092.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया, जिसमें 750 रुपए प्रति क्विंटल के मान से 5978.71 करोड़ रूपए का बोनस भी शामिल था।
- ❖ वर्ष 2019–20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के एवज में 15285 करोड़ रूपए का भुगतान समर्थन मूल्य के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 18 लाख 43 हजार 370 किसानों को 5627 करोड़ 2 लाख रूपए की इनपुट सब्सिडी भी दी गई।
- ❖ वर्ष 2020–21 में 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर 17,241 करोड़ रूपए का भुगतान समर्थन मूल्य के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त 20 लाख 59 हजार 68 किसानों को 5553 करोड़ 8 लाख रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई।
- ❖ खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में राज्य में 21 लाख 77 हजार 419 किसानों से समर्थन मूल्य पर 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसके एवज में किसानों को समर्थन मूल्य के रुप में 19037 करोड़ रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसल उत्पादक 23 लाख 35 हजार 480 किसानों को 7028 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई।
- ❖ खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में राज्य के 23.42 लाख किसानों से 107.53

लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया और उन्हें समर्थन मूल्य के रूप में 22,067 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।

❖ इसके अतिरिक्त 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को इस साल 20 अगस्त 2023 तक 2 किश्तो में 3705 करोड़ रूपए की राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। शेष दो किस्तों का भुगतान आगामी नवंबर एवं मार्च में किया जायेगा।

❖ वर्ष 2017–18 की तुलना में राज्य में धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 36 हजार की वृद्धि और उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है। 2018–19 से लेकर अब तक हर साल धान खरीदी के मामले में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है।

छत्तीसगढ़ में वर्षवार किसान पंजीयन एवं धान खरीदी, इनपुट सब्सिडी की जानकारी

खरीफ विपणन वर्ष	धान खरीदी (लाख मी. टन में)	पंजीकृत किसान संख्या	पंजीकृत धान का रकबा (हेक्टेयर में)	धान बेचने वाले किसानों की संख्या	कुल भुगतान (समर्थन मूल्य + बोनस/इनपुट सब्सिडी) (करोड़ ₹ में)
2017-18	56.88	15,77,332	24,46,546	12,06,264	10596.49
2018-19	80.38	16,96,763	25,60,557	15,71,412	20094.32
2019-20	83.94	19,55,541	26,88,101	18,38,592	20913.00
2020-21	92.00	21,29,764	27,59,385	20,53,600	22794.00
2021-22	98.00	24,06,560	30,10,880	21,77,419	26065.00
2022-23	107.53	26,41,737	34,06,000	23,42,050	30000.00 (अनुमानित)

गोधन न्याय योजना

स्वीकृत गौठान	निर्मित गौठान	स्वावलंबी गौठान
10,327	10,287	6,167

उद्देश्य - इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि, पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर खरीफ और रबी फसलों की सुरक्षा, द्वि–फसली क्षेत्र का विस्तार, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रसायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना है। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, भूमि की उर्वरता में सुधार, विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और सुपोषण को बढ़ावा देना भी है।

गोबर खरीदी एवं भुगतान - छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना आज सबसे लोकप्रिय योजना का रूप ले चुकी है। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौपालकों को आमदनी का अतिरिक्त जरिया मिला है। योजना के तहत 2 रूपए किलो में अब तक 130.54 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी और गोबर विक्रेताओं को 261 करोड़ 08 लाख रुपए का भुगतान 15 अगस्त 2023 तक की स्थिति में किया जा चुका है।

कम्पोस्ट क्रांति - गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय किए गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और उपयोग की राज्य में एक नई क्रांति शुरू हुई है, जिससे देश में आसन्न रासायनिक खाद संकट को हल करने में मदद मिलेगी। गौठान समितियों एवं महिला स्व–सहायता समूहों को अब तक 272.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

गौठानों में कम्पोस्ट उत्पादन - गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर से महिला समूहों द्वारा 32 लाख 07 हजार 969 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 5 लाख 40 हजार 797 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट खाद एवं 18 हजार 924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है। इसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है।

गोबर से प्राकृतिक पेंट - राज्य में गौठानों से 18,164 महिला स्व–सहायता समूह से 2,13,372 महिलाएं जुड़ी हैं। महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जागा है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन, प्राकृतिक पेंट, डिस्टेंपर, पुट्टी का निर्माण किया जा रहा है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जयपुर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मध्य एमओयू हुआ है। राज्य के गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन की 52 इकाइयां स्थापित की गई है। वर्तमान में 50 यूनिट कार्यरत हैं। गोबर से पेंट, डिस्टेंपर तथा पुट्टी के उत्पादन एवं विक्रय से 5.62 करोड़ की आय हुई है।

गौठानों में प्राकृतिक पेंट, डिस्टेंपर एवं पुट्टी का उत्पादन

(15 अगस्त 2023 की स्थिति में)

सामग्री	कुल उत्पादन	कुल विक्रय	कुल आय
पेंट	2,44,073 लीटर	1,91,132 लीटर	5.61 करोड़
डिस्टेंपर	1,12,212 लीटर	83,162 लीटर	
पुट्टी	9,064 कि.ग्रा.	2840 लीटर	

गौठानों में कम्पोस्ट निर्माण

(15 अगस्त 2023 की स्थिति में)

वर्मी कम्पोस्ट	सुपर कम्पोस्ट	सुपर कम्पोस्ट प्लस
32,07,696 क्विं.	5,40,979 क्विं.	18,924 क्विं.

उपलब्धि -

- गोधन न्याय योजना से 3 लाख 66 हजार 318 ग्रामीण किसान हो रहे है लाभान्वित।
- गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.19 प्रतिशत महिलाएं।
- पशुपालक ग्रामीणों से 20 अगस्त 2023 तक 261.08 करोड़ रूपए का गोबर क्रय।
- 37.67 लाख क्विंटल से अधिक कम्पोस्ट का उत्पादन। राज्य में जैविक खेती को मिला प्रोत्साहन।
- वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन एवं अन्य गतिविधियों से महिला समूहों को 272.23 करोड़ रूपये की आय।
- गांवों में आय और रोजगार के नये अवसर सृजित।
- 6167 स्वावलंबी गौठानों ने 15 अगस्त 2023 तक 73.09 करोड़ रुपये का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया है।

गौमूत्र खरीदी -

गौठानों में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। इससे गौठानों में कीट नियंत्रक ब्रह्मस्त्र और फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत का निर्माण हो रहा है।

गौमूत्र से तैयार उत्पाद

(15 अगस्त 2023 की स्थिति में)

गौमूत्र क्रय	कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र उत्पादन	जीवामृत उत्पादन
2,31,993 लीटर	99,335 लीटर	35,385 लीटर

₹ 2 किलो में गोबर और ₹ 4 लीटर में गौमूत्र खरीदी

कुल गोबर खरीदी मात्रा एवं भुगतान	गौठान समितियों एवं समूहों को भुगतान	हितग्राहियों को अब तक भुगतान
130.54 लाख क्विंटल क्रय एवं ₹ 261.08 करोड़ का भुगतान	₹ 272.23 करोड़	₹ 551.33 करोड़

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना

नि:शुल्क उपचार के साथ-साथ दवा और पैथोलॉजी जांच की सुविधा

वाहनों की संख्या	आयोजित शिविर	लाभान्वितों की संख्या	नि:शुल्क दवा से लाभान्वित	नि:शुल्क पैथोलॉजी जांच
124	72,313	55,04,233	47,46,014	14,78,596

21 अगस्त 2023 की स्थिति में

शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को राशि वहन करनी पड़ती थी या चिकित्सालय तक दूर जाना होता था इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई। योजना में मोबाइल मेडिकल यूनिट चिन्हांकित स्थलों पर जाकर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण करती है। इसके शुरु होने से लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मिलने से अब समय और पैसे की बचत होने लगी है।

उद्देश्य - राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है।

प्रारंभ - 02 अक्टूबर 2020 से।

उपलब्धि-

❖ योजनान्तर्गत राज्य के समस्त नगरीय निकायों (14 नगर निगम, 45 नगर पालिका तथा 113 नगर पंचायतों) के स्लम क्षेत्रों में 124 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण का कार्य किया जा रहा है।

❖ अब तक 72,319 शिविर आयोजित किये जा चुके हैं, जिसमें 55,04,23 मरीजों का इलाज किया गया है। 14,78,596 मरीजों के मेडिकल टेस्ट किये गये और 47,46,014 मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं।

दाई-दीदी क्लीनिक

महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलित अस्पतालों में उपचार की नि:शुल्क सुविधा

मेडिकल कैम्प की संख्या	लाभान्वित की संख्या	नि:शुल्क दवा से लाभान्वित	नि:शुल्क पैथोलॉजी जांच
2513	1,88,345	1,77,587	40,197

(21 अगस्त 2023 तक)

राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 'दाई–दीदी क्लीनिक' योजना संचालित है। इस क्लीनिक में मुफ्त दवा और पैथोलॉजी जांच की सुविधा के साथ महिला चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टॉफ द्वारा चिकित्सकीय सेवायें दी जा रही हैं।

प्रारंभ - 19 नवम्बर 2020

उपलब्धि

- ❖ डेडिकेटेड महिला स्टॉफ के माध्यम से महिला श्रमिकों एवं बच्चियों को निःशुल्क उपचार एवं परामर्श।
- ❖ देश की पहली महिला स्पेशल क्लीनिक।
- ❖ वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत नगर निगम रायपुर, दुर्ग रिसाली, भिलाई, बिलासपुर,रायगढ़,अम्बिकापुर एवं नगर पालिका आरंग में एक–एक क्लीनिक संचालित।
- ❖ 21 अगस्त 2023 तक 2513 शिविर आयोजित किये जा चुके हैं, 1,88,345 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का इलाज किया गया है।
- ❖ 40,197 महिलाओं का लैब टेस्ट किया गया है तथा 1,77,587 महिलाओं को निःशुल्क दवाएं दी गई है।

मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना

चलित अस्पतालों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों तक सुगम और निःशुल्क उपचार की सुविधा

चलित अस्पतालों की संख्या	हाट बाजार क्लीनिक संख्या	लाभान्वितों की संख्या
429	1749	1.40 करोड़

(20 अगस्त 2023 तक)

दूरस्थ और पहुंच के दृष्टिकोण से दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा महज एक कल्पना थी। ऐसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा उन्हें गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना के माध्यम से गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधा लोगों के घर तक पहुंच रही है।

उद्देश्य -

हाट–बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों एवं जन–जातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना।

उपलब्धि -

- ❖ अब तक हाट बाजार क्लीनिकों के माध्यम से 1.40 करोड़ मरीज लाभान्वित हुए हैं।
- ❖ राज्य में प्रति सप्ताह 429 चलित मेडिकल वाहनों और चिकित्सा स्टाफ के माध्यम से 1749 क्लीनिक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- ❖ इन क्लीनिकों में 10 प्रकार की जांच की सुविधा और 60 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं।
- ❖ हाट बाजार क्लीनिकों में शिशुओं और गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जा रहा है।
- ❖ दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है।
- ❖ महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार की सतत् निगरानी।
- ❖ बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद।
- ❖ इस योजना में गर्भवती माताओं और शिशुओं की जांच व टीकाकरण, संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों की जांच, नेत्र रोग, कुपोषण, चर्म रोग, मधुमेह, टीबी, उच्च रक्तचाप और परिवार नियोजन संबंधित सलाह दी जा रही है।

श्री धन्वंतरी

जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना

निकायों की संख्या	मेडिकल स्टोर्स संख्या	दवा खरीदी पर बचत
172	197	129.36 करोड़ रुपए

छत्तीसगढ़ में मरीजों को रियायती दरों में उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 20 अक्टूबर 2021 से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के समस्त 172 नगरीय निकायों में 197 श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोले गए हैं।

❖ इन दुकानों में देश की ख्याति प्राप्त कंपनियों की 329 जेनेरिक दवाईयां और 28 सर्जिकल आइटम 50 से 72 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध है।

❖ इन दुकानों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इन्सुलिन के साथ गंभीर बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आईटम भी रियायती मूल्य पर मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

❖ दवा दुकानों के माध्यम से अब तक 212.44 करोड़ रुपए मूल्य की दवाओं का विक्रय किया जा चुका है।

❖ अब तक 73.92 लाख से अधिक नागरिकों ने सस्ती दवाएं खरीदीं।

❖ अब तक दवाओं की खरीदी पर उपभोक्ताओं को लगभग 129.36 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है।

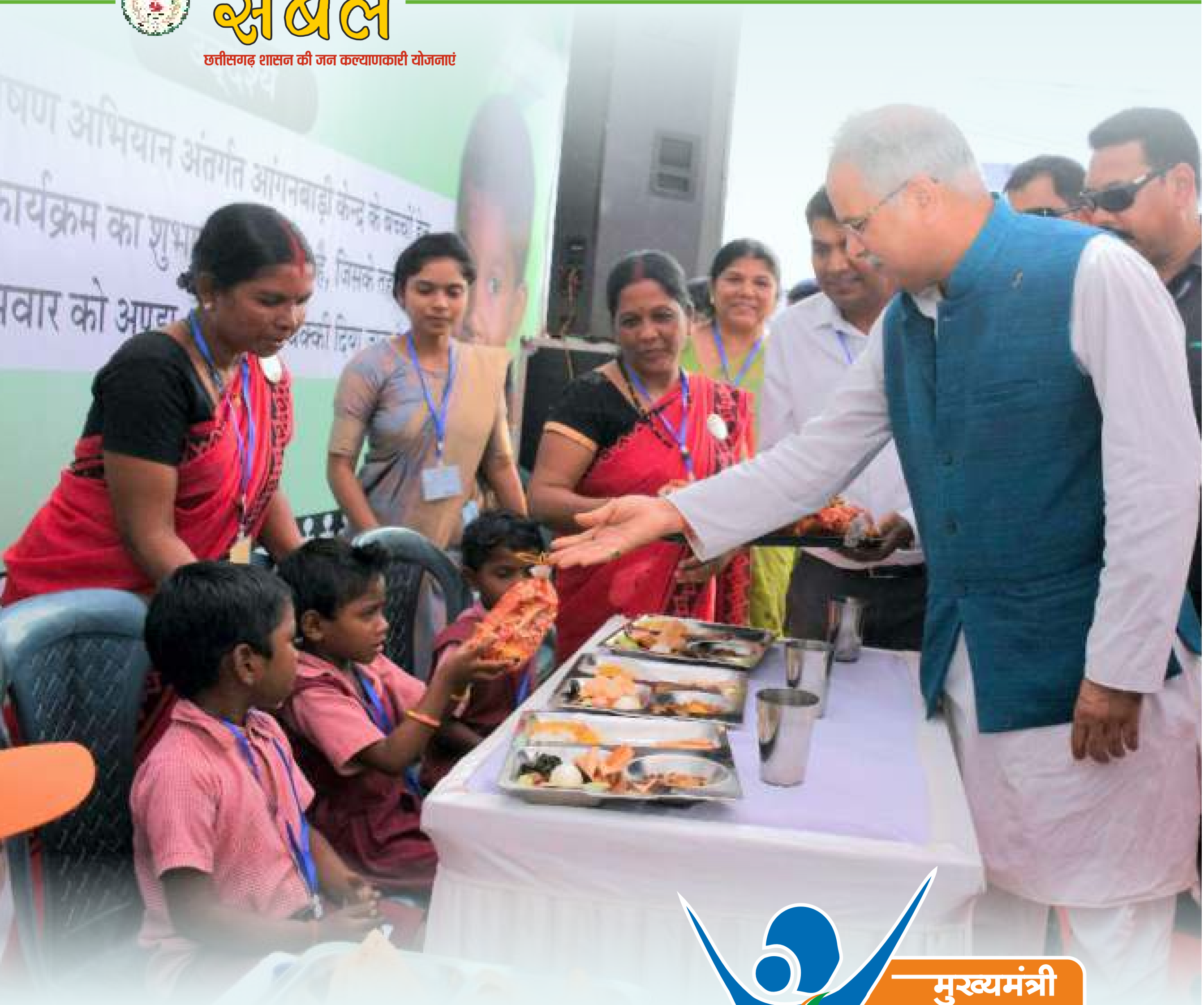

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान

2.65 लाख बच्चों को कुपोषण और 1.50 लाख से अधिक महिलाओं को एनीमिया से मिली मुक्ति

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है। राज्य शासन का संकल्प है कि जब तक प्रदेश के कुपोषण प्रभावित बच्चे सुपोषित नहीं हो जाते, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए यह अभियान पूरे प्रदेश में संचालित है।

उद्देश्य - राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण–4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं। कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनाचलों के रहवासी है। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की।

प्रारंभ - 2 अक्टूबर 2019।

उपलब्धि- योजना शुरू होने के समय वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4 लाख 33 हजार बच्चे कुपोषित थे। राज्य में अब तक 2 लाख 65 हजार से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार कुपोषित बच्चों की संख्या में 48 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य में कुपोषण की दर में 5.61 प्रतिशत की कमी आई है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 के अनुसार राज्य में कुपोषण का प्रतिशत घटकर 31.3 पहुंच गयी है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत से कम है।
- 1.50 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं।
- एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दी जा रही हैं।
- वर्ष 2022 से चिन्हित हितग्राहियों एवं गर्भवती माताओं को गर्म भोजन अनिवार्य किया गयाहै।

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना

अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा

अंग्रेजी माध्यम के संचालित स्कूल	हिंदी माध्यम के संचालित स्कूल	अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूलों में दर्ज संख्या
376	351	4,45,187

छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना संचालित है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2022–23 से राज्य के सभी 376 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में प्रवेश सीट की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर राज्य में 351 हिंदी मीडियम उत्कृष्ट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं।

प्रारंभ - शैक्षणिक सत्र 2020–21 से।

उपलब्धि

❖ प्रदेश में कुल 376 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय तथा 351 हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 1,74,034 विद्यार्थी तथा हिंदी माध्यम विद्यालयों में 2,71,153 छात्र– छात्राओं को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है।

❖ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चों तथा 50 प्रतिशत सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई है।

भवन की विशेषताएं - सुविधाजनक लैब, समृद्ध पुस्तकालय, आर्ट एवं म्यूजिक के लिए अलग से कमरे, समृद्ध कम्प्यूटर लैब कुछ स्थानों पर लैंग्वेज लैब, रोबोटिक्स लैब मैदान और इंडोर गेम्स भवन में बाला (बिल्डिंग एज लर्निंग एड) कांसेप्ट इत्यादि।

सुराजी गांव योजना

नरवा, गरवा, घुरवा, बारी

सुराजी गांव योजना के अंतर्गत 'नरवा, गरवा, घुरवा, बारी' कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्धेश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत संसाधनों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना तथा पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों तथा ग्रामीणों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना है।

नरवा

नरवा कार्यक्रम

चिन्हांकित बरसाती नालों की संख्या	उपचारित नालों की संख्या	भू-जलस्तर स्तर में वृद्धि
28,000	12,743	10-22 से.मी.
नरवा विकास कार्यक्रम से राज्य में सिंचाई रकबे में 11,564 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है		

नरवा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नरवा (बरसाती नाले) संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना ताकि सतही जल बहकर अन्यत्र न जाय, भूगर्भीय जल में वृद्धि हो और गर्मी के दिनों में भी नालों में जल की उपलब्धता बनी रहे।

प्रारंभ - 1 जनवरी 2019 से।

उपलब्धि -

❖ राज्य में 28,000 नरवा (नाले) उपचार हेतु चिन्हित कर उपचार कराया जा रहा है। इससे वर्षा जल का संचयन सिंचाई सुविधा में वृद्धि और भूजल स्तर में सुधार तथा दोहरी फसलों का रकबा बढ़ा है।

❖ वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 में कुल 12743 नाले उपचार के लिए चयनित किए गए, इनमें से पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा 8896, वन विभाग द्वारा 3460 तथा कृषि विभाग द्वारा 387 नालों का उपचार किया गया है।

❖ नाला उपचार के लिए कुल एक करोड़ 21 लाख 89 हजार 438 कार्य स्वीकृत किये गए, जिसमें से 87 लाख 21 हजार 722 कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं।

❖ नरवा उपचार से कृषि रकबे में 11564 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

❖ उपचारित नालों में जलप्रवाह की अवधि दिसंबर जनवरी से बढ़कर मार्च–अप्रैल माह तक हो गई है। नालों के आसपास के कुओं के जल स्तर में भी 10 सेन्टीमीटर से लेकर 22 सेन्टीमीटर तक की बढ़ोतरी हुई है।

गरवा

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में पशुधन संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गरवा कार्यक्रम के तहत गांवों में गौठानों का निर्माण किया गया है, जहां डे–शेल्टर के रूप में पशुओं के लिए निःशुल्क चारे एवं पानी का प्रबंध सुनिश्चित किया गया है।

प्रारंभ - 1 जनवरी 2019 से

उपलब्धि - राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 10 हजार 327 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से लगभग 10 हजार 287 गौठान निर्मित हो चुके हैं और 40 निर्माणाधीन हैं। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रू. किलो की दर से क्रय गोबर से जैविक खाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट सहित दीये, मूर्तियां, गमला और हस्तकला के बेहतरीन नमूने भी बनाये जा रहे हैं इसके अलावा विभिन्न गौठानों में पेंट निर्माण की 50 इकाईयां कार्यरत हैं। गौठानों में 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी कर उससे जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया जा रहा है।

गरवा कार्यक्रम

स्वीकृत गौठान	संचालित गौठान	स्वावलंबी गौठान	स्व-सहायता समूह	आय (₹करोड़)
10,327	10,287	6,167	18,164 समूह 2,13,372 सदस्य	176.72

(15 अगस्त 2023 की स्थिति)

घुरवा

कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण कर रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाना, भूमि की उर्वरता, कृषि उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि करना है।

प्रारंभ - 1 जनवरी 2019 से

उपलब्धि - राज्य के गौठानों में 32 लाख 07 हजार 696 क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट एवं 5 लाख 40 हजार 979 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तथा 18 हजार 924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस का उत्पादन 20 अगस्त 2023 की स्थिति में किया जा चुका है। इसमें से लगभग 31.62 लाख क्विंटल से अधिक जैविक खाद का विक्रय किया गया है। जिसका उपयोग किसानों द्वारा अपने खेतों में किया गया है।

घुरवा कार्यक्रम

गौठानों में उत्पादित खाद	विक्रय खाद की मात्रा	गौठानों में उपलब्ध खाद	वर्मी खाद उत्पादक समूह
37.67 लाख क्विंटल	31.62 लाख क्विंटल	6.02 लाख क्विंटल	5439

(15 अगस्त 2023 की स्थिति)

बारी

पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों तथा फल–फूल के उत्पादन को बढ़ावा देकर गांव में पोषक आहारों की उपलब्धता बढ़ाना एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ व्यावसायिक स्तर पर भी सब्जी तथा फल–फूल का उत्पादन करना ताकि ग्रामीणों को अतिरिक्त आय हो सके।

प्रारंभ - 1 जनवरी 2019 से

उपलब्धि - राज्य पोषित बाड़ी कार्यक्रम के तहत 4 लाख से अधिक व्यक्तिगत बाड़ियां विकसित की गई हैं। गौठानों में 4392 सामुदायिक बाड़ियां भी स्थापति की गई हैं। सामुदायिक बाड़ियों से 39 हजार 744 हितग्राही जुड़े हैं। महिला समूहों को सामुदायिक बाड़ी से लगभग 11.07 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई है।

बाड़ी कार्यक्रम

राज्य पोषित बाड़ियों की संख्या	सामुदायिक बाड़ियां (गौठानों में)	सामुदायिक बाड़ी से जुड़े हितग्राहियों की संख्या
4,00,000	4392	39,744

(15 अप्रैल 2023 की स्थिति)

वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

कुल 5,16,169 वन अधिकार पत्रों का वितरण
वनवासियों को कुल 105 लाख 31 हजार 397 एकड़ वन भूमि व संसाधनों पर मिला हक

पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी वन अधिकार कानून (मान्यता 2006 एवं संशोधन 2012) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वनभूमि पर अनुसूचित जनजाति जो 12 दिसम्बर 2005 से पूर्व एवं अन्य परम्परागत वन निवासी जो तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से काबिज हैं, उन्हें जीवनयापन के लिए काबिज वनभूमि के उपयोग का अधिकार पत्र दिया जा रहा है।

प्रारंभ - अगस्त 2019

लाभ-

- ❖ इस अधिनियम के माध्यम से वनांचलों में पट्टाधारी किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का भी लाभ मिलने लगा है।
- ❖ शासकीय व्यय पर औषधीय एवं फलदार वृक्ष लगाने की योजना लाई गई, जिससे वनांचलों में निवासरत किसानों को अतिरिक्त आय का एक स्थायी जरिया मिला है।

उपलब्धि-

- ❖ वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य है।
- ❖ वर्तमान सरकार द्वारा पहल करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को प्रदान किये जाने की शुरूआत की गई है।

- छत्तीसगढ़ राज्य में 4,68,443 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 9,47,417 एकड़ है।
- राज्य में 43,653 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 50,97,757 एकड़ है।
- राज्य में 4073 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदाय किया गया है, जिसका रकबा 44,86,223 एकड़ है।

व्यक्तिगत वन अधिकार	4,68,443	9,47,417 एकड़
सामुदायिक वन अधिकार	43,653	50,97,757 एकड़
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	4073	44,86,223 एकड़

बस्तर के लोहांडीगुड़ा के किसानों को भूमि वापसी

किसानों की संख्या	वापस की गई अधिगृहीत जमीन
1707	4200 एकड़

तेंदूपत्ता एवं वनोपज संग्रहण

67 लघु वनोपजों की खरीदी- लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 67 कर दी गई है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक 30.53 लाख क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी की गई है, जिसका मूल्य 388 करोड़ रूपए है।

❖ तेन्दूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण की राशि 2500 रूपए से 4000 रूपए प्रति मानक बोरा किया।

❖ लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु स्थापित 139 वन धन विकास केन्द्रों के अंतर्गत 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' रजिस्टर्ड ब्रान्ड के नाम से विक्रय किया जा रहा है।

❖ राज्य शासन द्वारा लाख पालन को कृषि समतुल्य मानते हुए लाख पालन के लिए ब्याज मुक्त फसल ऋण सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रथम चरण में लगभग 50 हजार किसान परिवारों को रोजगार मिलेगा।

❖ राज्य में पहली बार समर्थन मूल्य पर प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से 11839 कृषकों से 16.60 करोड़ रूपए मूल्य का 54,719 क्विंटल कोदो, कुटकी, रागी क्रय किया गया। वर्ष 2022–23 में 39,000 क्विंटल मिलेट्स का क्रय 12 करोड़ रुपए में किया गया।

❖ राज्य मे मिलेट्स प्रोसेसिंग के 12 प्लांट स्थापित।

शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के समन्वय से यह योजना संचालित है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया (आयु 18–50 वर्ष) की आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटनाजनित मृत्यु पर 4 लाख, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

संग्राहक परिवार	सहायता राशि से लाभान्वित	राशि
12 लाख 50 हजार	6460 हितग्राही	97.74 करोड़

लघु वनोपज के दरों में बढ़ोत्तरी

लघु वनोपज	पूर्व दर (प्रति किलो)	वर्तमान दर (प्रति किलो)
महुआ फूल	₹ 17	₹ 33
इमली	₹ 25	₹ 36
चिरौंजी	₹ 93	₹ 126
रंगीनी लाख	₹ 130	₹ 220
कुसुमी लाख	₹ 200	₹ 300
शहद	₹ 195	₹ 225

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

5 लाख 63 हजार 576 परिवारों को ₹ 7 हजार की वार्षिक सहायता
योजना के हितग्राहियों को अबतक ₹ 758 करोड़ मदद दी गई है

योजना का उद्देश्य

- ❖ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन परिवारों एवं वर्ष 2023–24 नगर पंचायत क्षेत्रों व सभी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत बैगा, गुनिया, पुजारी, मांझी आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- ❖ ऐसे परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं। इस योजना के तहत धोबी, नाई, लोहार, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया और गायता–पुजारी आदि भी पात्र हैं।

मजदूरों की मददगार

मजदूरों की मददगार यह योजना आर्थिक रूप कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। ऐसे परिवार जिनका मजदूरी के अलावा कोई अतिरिक्त आय का साधन नहीं है, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने में यह योजना मददगार है।

छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन

उद्देश्य - रोजगार मिशन का उद्देश्य युवाओं को आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि - छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, मिलेट मिशन, लघु वनोपजों के वेल्यूएडिशन सहित कई क्षेत्रों में काम हो रहा है। लाख पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य उत्पादन को कृषि दर्जा दिया गया है। राज्य के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए सी–मार्ट प्रारंभ करने की योजना शुरु की गयी है। पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इन्हीं सब प्रयासों को एकीकृत करने और रोजगार की नई संभावनाओं के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत की गई है।

यह मिशन राज्य और जिलों की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के नए–नए अवसरों के सृजन के लिए काम करेगा। रोजगार मिशन के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य है।

प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं का रोजगार नियोजन

राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न कोर्सेस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह रोजगार हासिल करने के लिए सक्षम हो सके।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

प्रशिक्षण	नियोजन
4.70 लाख	2.57 लाख

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रशिक्षण	नियोजन
15,004	3,854

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संभवतः देश में पहली बार रोजगार मिशन की शुरूआत छत्तीसगढ़ में की गई है। यह मिशन राज्य और जिलों की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के नए-नए अवसरों के सृजन के लिए काम करेगा। रोजगार मिशन के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य है।

टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से राज्य की 36 शासकीय आई.टी.आई. की उन्नयन योजना

कार्पोरेट जगत के सहयोग से राज्य के तकनीकी संस्थानों को टेक्नोलॉजिक हब के रूप में विकसित करने तथा कृषि अनुसंधान व नवाचार केन्द्रों के रूप में उन्नयन हेतु राज्य योजना आयोग एवं टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के मध्य 01 अक्टूबर 2022 एमओयू निष्पादित किया गया है।

- ❖ टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से राज्य की 36 शासकीय आई.टी.आई. में परियोजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को विश्व स्तर के अत्याधुनिक 6 नवीन तकनीकी व्यवसायों में एक वर्षीय एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- ❖ प्रत्येक आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रत्येक आईटीआई में प्रारंभ में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट में टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड एवं उसके सहयोगी उद्योग सहयोग प्रदान करेंगे। योजना से प्रतिवर्ष लगभग 6192 युवा लाभान्वित होंगे।

राजीव युवा मितान क्लब योजना

उद्देश्य - पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के युवा भारत के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरूआत 3 फरवरी 2022 से हुई है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है। यह युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का क्रांतिकारी कार्यक्रम है। युवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण, खेल को आगे बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने और लोगों को इसका लाभ दिलाने में मदद मिलेगी।

राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में चरणबद्ध रूप से गठित 13242 राजीव युवा मितान क्लब के 3,32,770 सदस्य हैं।

राजीव युवा मितान क्लब के संचालन के लिए 20 अगस्त 2023 तक 132 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक क्लब को प्रत्येक तीन माह में 25 हजार रूपए के मान से एक साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए एक लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान है।

मितान
हमर सरकार-हमर द्वार

मुख्यमंत्री मितान योजना

इस योजना के तहत अब तक 1 लाख 20 हजार शासकीय दस्तावेज उपलब्ध कराया गया।

उद्देश्य - सभी नागरिकों विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से शासकीय प्रमाणपत्रों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

क्रियान्वयन - 14 नगर निगमों में 27 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से जल्द प्राप्त होंगी। योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। 19 जून 2023 से ये योजना 44 नगर पालिका क्षेत्रों में भी लागू हो गई है।

शुभारंभ - 01 मई 2022 श्रमिक दिवस के अवसर पर।

मिलने वाली सुविधाएं - योजना के तहत नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, उसमें सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसमें सुधार, विवाह प्रमाण पत्र, उसमें सुधार, सभी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, जमीन नकल के दस्तावेज, भूमि सूचना दस्तावेज, 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड, आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट, पैन कार्ड, पैन कार्ड में सुधार और डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाने संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

टोल फ्री नम्बर - 14545

मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को मितान टोल फ्री नम्बर 14545 पर कॉल करना होगा। फोन कॉल के बाद मितान उनके घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज लेंगे और संबंधित कार्यालय से प्रमाण पत्र बनवाकर उनके घर पहुंचाएंगे।

- ❖ 1,50,378 लाख लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक कराया ।
- ❖ 1,20,000 लोगों को योजना के तहत घर बैठे प्रमाण पत्र/दस्तावेज उपलब्ध कराया गया।

घर बैठे उपलब्ध होंगी विभिन्न शासकीय सेवाएं

टोल फ्री नंबर 14545

बेरोजगारी भत्ता योजना

योजना के तहत 1,29,886 युवाओं को 146.98 करोड़ रूपए की राशि जारी

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को एक अप्रैल से हर माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की योजना शुरू की गई है। योजना का लाभ कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के युवाओं को मिलेगा। योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष एवं पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना के लिए नवीन मद में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- ❖ 30 अगस्त 2023 की स्थिति में राज्य के 1 लाख 29 हजार 886युवाओं को 148 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जा चुकी है।
- ❖ 8982 से अधिक युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा गया है, जिसमें से 1974 को रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना
मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना

छत्तीसगढ़ की संस्कृति में तीज त्यौहार एवं रीति रिवाजों का अलग ही महत्व होता है। मेले–मंडई भी देवी देवताओं की विशेष प्रसिद्धि और उनके कुल के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में आयोजित होते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा संस्कृति और पर्वों के संरक्षण लिए की जा रही पहल का मुख्य उद्देश्य परम्परा को सहेजना, उसे मूल स्वरूप में अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करना और उनका अभिलेखीकरण करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहारों के आयोजन में सरकार की ओर से आवश्यक धनराशि मुहैया कराने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है। राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी तीज–त्यौहारों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष 10 हजार रूपए की अनुदान राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है जबकि जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक तीज त्यौहारों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की अनुदान राशि प्रादन करने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना संचालित है।

- ❖ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि के अंतर्गत राज्य की 6111 ग्राम पंचायतों को अब तक 6.11 करोड़ रूपए दिए गए है।
- ❖ मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि के तहत 5633 ग्राम पंचायतों को तीज–त्यौहारों के आयोजन के लिए 5.64 करोड़ रूपए की राशि दो किस्तो में प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन

मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी दुगुना किए जाने का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन के तहत पांच वर्षों में 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया है। मात्र 2 वर्ष की अवधि में मिलेट्स की खेती का रकबा 69 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 1 लाख 60 हजार हेक्टेयर हो गया है। कोदो–कुटकी, रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9000 रुपए/ एकड़ के मान से सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एक मात्र राज्य है। प्रदेश में मिड–डे–मील और आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी मिलेट फूड को शामिल किया गया है। कांकेर जिले के नदिया नवगांव में एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। वर्तमान में राज्य के 10 जिलों में 12 प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हैं।

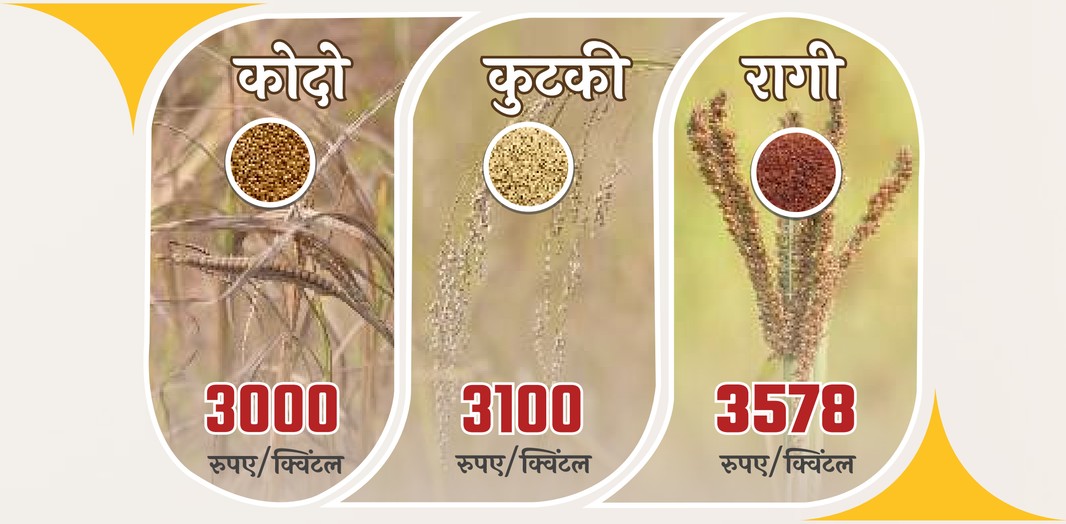

कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी

वर्ष	मात्रा	समर्थन मूल्य
2021–22	54,000 क्विंटल	16 करोड़ रुपए
2022–23	39,000 क्विंटल	12 करोड़ रुपए

मिलेट कैफे

मिलेट चीला

कुटकी पिज्जा बेस

रागी इडली

मिलेट राईस

राम वन गमन पर्यटन परिपथ

भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के दौरान 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे। प्रारंभिक चरण में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना 137 करोड़ 45 लाख की लागत से विकसित की जा रही है। इसकी लम्बाई 2226 किलोमीटर है।

छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित सरगुजा से लेकर दक्षिण स्थित सुकमा तक राम से जुड़े स्थानों, प्राचीन अवशेषों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त होती है, जिनसे लोक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं।

राम वन गमन पर्यटन परिपथ ऐसे ही स्थानों को आपस में जोड़कर उन्हें विकसित करने की परियोजना है। छत्तीसगढ़ में भगवान श्रीराम से जुड़े 75 स्थानों की पहचान की गई है।

परियोजना के पहले चरण में सीतामढ़ी–हरचौका रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम शामिल है।

राम वन गमन पर्यटन परिपथ में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को पग–पग पर भगवान श्रीराम के दर्शन होंगे। चंदखुरी और शिवरीनारायण में विकास और सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करके लोकार्पित किया जा चुका है। रायपुर के निकट स्थित चम्पारण को भी राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया है।

शिवरीनारायण

राजिम

सीतामढ़ी हरचौका
छतोड़ा
देवगढ़
विश्रामपुर
रामगढ़
मैनपाट
महेषपुर
किलकिला
लक्ष्मण पादुका गेरवानी
राम झरना
शिवरीनारायण
चंद्रपुर
चंदखुरी
सिरपुर
रायपुर
तुरतुरिया
राजिम
मधुबन धाम
रुद्री
सिहावा
धनोरा
नारायणपुर
चित्रकोट
जगदलपुर
गीदम
कुटुमसर
रामाराम
कोंटा

जब नेतृत्व हो सबल, तो सबको मिलता है आगे बढ़ने का बल
अब घर की दहलीज सीमा नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं हो रहीं सफल

99

भरोसे की सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार

भेंट मुलाकात

गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा के केंद्र बने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय

छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क के लिए छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा आकल्पित एवं मुद्रित, अगस्त 2023 पुस्तक में प्रकाशित तथ्य एवं आंकड़े शासकीय स्त्रोतों से लिये गए हैं, जो परिवर्तन योग्य हैं।